महत्वपूर्ण एवं खास

लोकवाणी 9 फरवरी को

» परीक्षा प्रबंधन और युवा कैरियर के आयाम विषय पर होगी बात

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्यमंत्री की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की सातवीं कड़ी का प्रसारण आगामी 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफ.एम.तथा क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह 10.30 से 10.55 बजे तक किया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यशाला 12 फरवरी को

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रचार-प्रसार हेतु 12 फरवरी 2020 को विकासखण्ड सारंगढ़ में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ में मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि कार्यशाला में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बारे में शासन द्वारा दिए गए जाने सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। विकासखण्ड सारंगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग स्थापित करने वाले इच्छुक उद्यमी 12 फरवरी को पूर्वान्ह 11 बजे जिंदल गेस्ट हाऊस, ग्राम टेंगनापाली तहसील सारंगढ़ में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

रकबे से अधिक पंजीयन कराकर बेचा दूसरे का धान

» पटवारी व कृषक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु की गई अनुशंसा

न्याय साक्षी/रायगढ़। धान विक्रय हेतु धारित रकबा से अधिक रकबे का पंजीयन कराने के संबंध में ग्राम बुदेली तहसील सारंगढ़ के कृषक परमानंद आ.घसिया तथा संबंधित हल्के के पटवारी के विरूद्ध शिकायत मिली थी। जिसके जांच उपरांत किसान किताब पुस्तिका में कृषक के कुल धारित रकबा से अधिक रकबा पटवारी द्वारा अंकित होना पाया गया। उक्त त्रुटि को रकबा सत्यापन, गिरदावरी, कृषक पंजीयन का राजस्व अभिलेख से मिलान करने जैसे पर्याप्त अवसर मिलने के पश्चात भी रकबा वृद्धि को संबंधित पटवारी द्वारा नहीं सुधारा गया। इस प्रकार अधिक रकबा का पंजीयन कर धान विक्रय किया गया है। इस हेतु हल्का पटवारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु एसडीएम सारंगढ़ द्वारा कलेक्टर रायगढ़ को अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भेजा गया है। संबंधित कृषक द्वारा स्वयं के धारित रकबे का ज्ञान होते हुए भी अधिक रकबा पंजीयन कर किसी अन्य कृषक का धान विक्रय किया गया, जिसके लिए भी संबंधित कृषक के पर दाण्डिक कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित कलेक्टर रायगढ़ को भेजा गया है।

सुरक्षित कार्यस्थल हर महिला का कानूनी और संवैधानिक अधिकार

» कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के दाण्डिक परिणामों और समिति की जानकारी डिस्प्ले करना जरूरी

रायपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज राजधानी में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की जांच के लिए विभागों में गठित आंतरिक और स्थानीय समिति के पदाधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में दिल्ली की प्रशिक्षक श्रीमती ईशा शेखर ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों, क्रियान्वयन और जांच के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण पर विस्तार से बताया। ईशा ने बताया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिस्थितियों के लिए भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रावधान हैं, लेकिन लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 ने कार्यस्थल पर होने वाले अनेक प्रकार के यौन उत्पीड़न कृत्यों और स्थानों के दायरे को विस्तारित किया है। सुरक्षित कार्यस्थल हर महिला का कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत प्रत्येक नियोक्ता का कर्तव्य है कि कार्य स्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराए। नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल के किसी सहज-दृश्य स्थान पर लैंगिक उत्पीड़न के दाण्डिक परिणामों तथा आंतरिक समिति के सदस्यों की जानकारी का डिस्प्ले बोर्ड भी लगाया जाना चाहिए।

» चक्रधरनगर पुलिस की छापेमारी में दलाल पति-पत्नी, होटल संचालक, दो युवती व ग्राहक युवक गिरफ्तार

नये खुले होटल में देह व्यापार के लिए नागपुर, कोलकाता से लाई जा रही थी लड़कियां

» पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आरोपियों को भेजा गया रिमांड पर

» आरोपियों की वैगनआर कार जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। शहर का चक्रधरनगर थाना क्षेत्र में अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर कार्यवाही से पिछले कई महीनों से इस अनैतिक व्यापार पर अंकुश लगा था।

मेडिकल कॉलेज के पास रहने वाले दंपत्ति द्वारा कोलकाता, नागपुर व अन्य महानगरों से लड़कियां लाकर थानाक्षेत्र के नए होटल में देह व्यापार का धंधा कराया जा रहा था जिसकी सूचना थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक विवेक पाटले को मिली जिस पर उनके द्वारा अपने स्टाफ को होटल के आसपास निगरानी के लिए तैनात किए थे। इसी बीच होटल के कमरे में बाहर से लडकियां लाये जाने की सूचना थाना प्रभारी चक्रधरनगर को मिलने पर उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित किया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर राजपत्रित पुलिस अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक यातायात पुष्पेंद्र बघेल के हमराह टी.आई. विवेक पाटले, ए.एस.आई. शशि देव भोई, प्रधान आरक्षक लोमश राजपूत, आरक्षक जगमोहन ओग्रे, रितेश दीवान, अखिलेश कुशवाहा, महिला आरक्षक मेनका चौहान, कस्तूरी राठिया की संयुक्त टीम बनाई गई। उप पुलिस अधीक्षक बघेल द्वारा टीम को ब्रीफ कर कार्यवाही से अवगत कराया गया।

टीम द्वारा अपना एक प्वाइंटर होटल में ग्राहक बनाकर भेजें और प्वाइंटर के सूचना देने का इंतजार किए। प्वाइंटर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम द्वारा होटल में दबिश दिया गया।

होटल के काउंटर के पास दलाल एवं होटल संचालक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किए जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिन्होने बाहर से लड़कियां लाकर कमरा उपलब्ध कराना बताये। हॉटल के कमरा नंबर 105, 103 में जाकर चेक करने पर एक कमरे में देह व्यापार के लिये बाहर से लाई गई युवती एवं ग्राहक मिला तथा दूसरे कमरे में बाहर से मंगाई गई युवती व पुलिस का पॉइंटर मिला।

होटल में दलाल का वैगनआर कार सीजी 13 सी 2135 जिसमें लडकियां होटल तक लायी गई थी जप्त किया गया है, मौके पर पुलिस टीम द्वारा कुछ आपत्तिजनक सामान एवं युवती से 2000 रूपये प्वांटर द्वारा दिया गया जप्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध थाना चक्रधरनगर में 44/2020 धारा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1965 की धारा 3,4,5 के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है।

गिरफ्तार आरोपी –

होटल संचालक, दलाल, ग्राहक

अनमोल जीवन के लिए सार्थक दान है रक्तदान-प्राचार्य डॉ.अंजनी तिवारी

» निःशुल्क रक्त परीक्षण एवं रक्तदान शिविर आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ के सभाकक्ष में गत दिवस रेडक्रॉस सोसायटी यूनिट रायगढ़ के सहयोग से विशाल निःशुल्क रक्त परीक्षण एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ डॉ.हनिश चॉवड़ा एवं प्राचार्य डॉ.अंजनी कुमार तिवारी के द्वारा मां सरस्वती की पूजा-अर्चना के साथ किया गया। प्राचार्य डॉ.अंजनी कुमार तिवारी ने अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि रक्तदान एक सार्थक दान है, जिससे किसी का जीवन बचाया जा सकता है।

इस पुनीत कार्य में सभी सहभागी बनें और रक्तदान के लिए आगे आए। इस मौके पर रेडक्रॉस सोसायटी यूनिट की प्रभारी डॉ.सुषमा पटेल एवं अन्य सदस्य तथा गणमान्य एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

शिविर में 9 छात्र एवं 8 छात्राओं द्वारा रक्तदान किया गया एवं 350 विद्यार्थियों का रक्त परीक्षण करवाया। इस अवसर पर रक्तदाताओं को महाविद्यालय के यूथ रेडक्रास सोसायटी यूनिट की ओर से रक्तदाता सम्मान पत्र दिया गया।

इस अवसर पर शिविर में भारतीय रेडक्रास सोसायटी की ओर से डॉ.मनीष कुर्रे उपस्थित थे। शिविर के समापन में प्राचार्य द्वारा रेडक्रास सोसायटी के सदस्यों को श्रीफल देकर तथा महाविद्यालय के रेडक्रास प्रभारी डॉ.सुषमा पटेल एवं एमएससी वनस्पति शास्त्र के छात्र-छात्राओं द्वारा प्राचार्य को शाल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया।

पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 9 फरवरी को

» जिले में बनाए गए 15 परीक्षा केन्द्र, 4641 परीक्षार्थी होंगे शामिल

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग रायपुर द्वारा पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 का आयोजन 9 फरवरी को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक (सामान्य अध्ययन) एवं अपरान्ह 3 बजे से शाम 5 बजे तक (व्यवहारिक परीक्षा)किया गया है। पीएससी परीक्षा के लिए जिले में कुल 15 केन्द्र बनाए गए है, जिसमें 4641 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा केन्द्र क्रमांक 1501-किरोड़ीमल शास. पालीटेक्निक चक्रधर नगर रायगढ़ में 400 परीक्षार्थी, जिनका रोल नंबर 1907199343 से 1907199742 है। इसी तरह परीक्षा केन्द्र क्रमांक 1502-शास.पालुराम धनानिया कामर्स एवं आर्ट कालेज कोतरा रोड़ रायगढ़ में 300 परीक्षार्थी, जिनका रोल नंबर 1907199743 से 1907200042 है। परीक्षा केन्द्र क्रमांक-1503 शास.नटवर हायर सेकेण्डरी स्कूल, रायगढ़ में 489 परीक्षार्थी, जिनका रोल नंबर 1907200043 से 1907200531 है। परीक्षा केन्द्र क्रमांक 1504-गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल पैलेस रोड रायगढ़ में 300 परीक्षार्थी, जिनका रोल नंबर 1907200532 से 1907200831 है। परीक्षा केन्द्र क्रमांक 1505-शास.हायर सेकेण्डरी स्कूल चक्रधरनगर रायगढ़ में 250 परीक्षार्थी, जिनका रोल नंबर 1907200832 से 1907201081 है। परीक्षा केन्द्र क्रमांक 1506-शा.हायर सेकेण्डरी स्कूल जूटमिल रायगढ़ में 250 परीक्षार्थी, जिनका रोल नंबर 1907201082 से 1907201331 है। परीक्षा केन्द्र क्रमांक 1507-शा.हाईस्कूल चांदमारी रायगढ़ में 300 परीक्षार्थी, जिनका रोल नंबर 1907201332 से 1907201631 है। परीक्षा केन्द्र क्रमांक 1508-नगर पालिक निगम हायर सेकेण्डरी स्कूल रामलीला मैदान रायगढ़ में 300 परीक्षार्थी, जिनका रोल नंबर 1907201632 से 1907201931 है।

बाड़ी विकास से जुड़कर स्व-सहायता समूह की महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर

न्याय साक्षी/रायगढ़। शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा एवं बाड़ी योजना अंतर्गत रायगढ़ जिले की स्व-सहायता समूह की महिलाएं रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही है। लैलूंगा विकास खण्ड के ग्राम कोड़ासिया गौठान में लक्ष्मी महिला समूह की 44 महिलाएं सदस्य द्वारा 1.5 हेक्टेयर में आलू एवं एक हेक्टेयर में प्याज लगाया गया है। खरसिया विकास खण्ड ग्राम जोबी के गौठान में उजाला महिला स्व-सहायता समूह की 12 महिलाओं ने 1.5 एकड़ में लौकी प्याज और मेथी भाजी की खेती बाड़ी में की गई। इसी प्रकार सारंगढ़ विकास खण्ड के संध्या स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने ग्राम कोसीर गौठान में 5 महिला समूह द्वारा 38 महिलाओं ने 5 एकड़ में बाड़ी विकास के कार्य किए हैं। उन्होंने बाड़ी में सरसों, आलू, गेहूं, चना की खेती की है। साथ ही पपीता भी लगाए गए है।

शासन की नरवा गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना के तहत जिले के अन्य गौठानों में महिला समूह की 122 सदस्यों द्वारा बाड़ी विकास के कार्य किए जा रहे है। इनमें कोसमनार गौठान, तेंदुमुडी, पंडरीपानी, एडुकेला, आमगांव, केराबहार में बाडी विकास के कार्य किए गए। समूह की महिलाएं स्वालंबन की डगर पर अग्रसर हुई है। उन्होंने शासन की योजना की सराहना करते हुए। महिलाओं के लिए सार्थक कदम बताया।

छात्रों में भाषा की समझ बढ़ाने अर्ली ग्रेड लिटरेसी प्रोग्राम होगा शुरू

» नये शिक्षण सत्र से तमनार विकासखण्ड के 137 विद्यालयों में संचालित होगा कार्यक्रम

» कक्षा 1 व 2 के छात्रों में भाषा ज्ञान विकास के लिए लगेंगी विशेष कक्षाएं

न्याय साक्षी/रायगढ़। बच्चों में भाषा ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से रायगढ़ जिले में अर्ली ग्रेड लिटरेसी प्रोग्राम आगामी शिक्षण सत्र से प्रारम्भ होने जा रहा है। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा यूनिसेफ तथा रूम टू रीड संस्था के सहयोग से चलाया जाएगा। इस संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। कार्यशाला में सीईओ जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी तथा सहायक कलेक्टर संबित मिश्रा उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने शिक्षा विभाग जिला तथा विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि भाषा शिक्षा का बुनियादी आधार होता है। भाषा की अच्छी समझ के बिना छात्र अन्य विषयों में मजबूत पकड़ नही बना सकता है। अर्ली ग्रेड लिटरेसी प्रोग्राम मे एक सुनियोजित व प्रभावी कार्यक्रम है जिसके द्वारा शुरुआती कक्षाओं में ही बच्चों के भाषा का स्तर सुधारा जा सकता है, जिससे अन्य विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान की समझ बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल ड्रॉपआउट की समस्या में कमी लाने में यह कार्यक्रम कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षण एक संवेदनशील कार्य है, जिसमें शिक्षक व छात्र के मध्य सार्थक संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु छात्रों से निरंतर संवाद करे व उनकी समस्याओं को समझकर उसका त्वरित निदान करें। जिससे कि छात्रों के अनुकूल शिक्षण वातावरण निर्मित किया जा सके।

कार्यक्रम के तहत कक्षा पहली व दूसरी के छात्रों को वर्णमाला ज्ञान, अक्षर पहचानने, शब्द बनाना, शब्दों तथा उनके अर्थ समझना इत्यादि सिखाने के उद्देश्य से यह प्रोग्राम जिले में नये शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किया जायेगा। प्रारम्भिक चरण में यह प्रोग्राम तमनार विकासखण्ड के समस्त 137 विद्यालयों में संचालित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी है। कार्यशाला में जिला स्तर से डीएमसी तथा सहायक संचालक शिक्षा तथा विकासखण्ड स्तर से बीईओ, बीआरसी व सीएससी इत्यादि सम्मिलित हुए। अगले चरण में मास्टर ट्रेनर्स का चयन कर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा।

के.जी.एच. में ईलाज के लिए लाया गया अपचारी बालक हुआ फरार

न्याय साक्षी/रायगढ़। बाल सम्प्रेक्षण गृह रायगढ दिनांक 06-02-2020 को दोपहर हाउस फादर त्रिलोचन प्रधान एवं पौरा मेडिकल स्टाफ अवधेश कुमार साहू बाल सम्प्रेक्षण गृह में रहने वाले अपचारी बालक उम्र (17.6 माह) जो थाना कोतरारोड में पजीबंद्ध अपराध क्र 09/2020 धारा 363, 366, 368, 376 भादवि व 4,6,17 पास्को एक्ट के मामले में बाल सम्प्रेक्षण गृह लाया गया था जिसे ईलाज के लिये स्टाफ के.जी.एच. लेकर आये थे। दोपहर करीब 12-00 बजे से 01-00 बजे के मध्य अपचारी बालक अचानक भीड का फायदा उठाकर भाग गया। हाउस फादर त्रिलोचन प्रधान द्वारा इसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज करायी गई है, रिपोर्ट पर अपचारी बालक के विरूद्ध अप.क्र. 114/2020 धारा 224 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है, बालक के भागने की सूचना उनके परिजनो को भी दिया गया है।

चौकी खरसिया पुलिस के पकड़ में चोरी के आरोपीगण

» जेवरात चोर तथा चोरी की सम्पत्ति के दो खरीददार गिरफ्तार

» तीनों आरोपीगण भेजे गए रिमांड पर, सक्रिय सूचनातंत्र से जल्द सुलझा मामला

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी खरसिया स्टाफ द्वारा सोने की माला चोरी के मामले में एक चोर व दो खरीरदार को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक दिनांक 05.02.2020 को पुलिस चौकी खरसिया में रिपोर्टकर्ता दुर्गेश पटैल निवासी खैरपाली रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 04.02.2020 को दोपहर करीब 02:00 बजे अपनी पत्नी के साथ हालाहुली से वापस अपने घर खैरपाली जा रहा था, बारिश होने के कारण खैरपाली न जाकर अपने ससुराल मौहापाली जाने के लिये खरसिया के छपरीगंज पहुंचा।

बारिश के कारण मोटर सायकल को बिक्की अग्रवाल के घर के पास गली में खड़ी कर दुर्गेश पटैल अपने ससुरालवालों मोबाईल पर बातचीत करने में व्यस्त होकर पैदल जाने लगा जिसे देखकर उसकी पत्नि पीछे-पीछे चलने लगी, इनका बैग मोटर सायकल में ही छूटा था। कुछ समय के बाद दुर्गेश ने अपनी पत्नि को मोटर सायकल से बैग लाने के लिये बोला तो मोटर सायकल में बैग नही था कोई अज्ञात चोर बैग चोरी कर भाग गया था, उस बैग में 01 सोने का माला (7 पदक का) वजन करीबन 10 ग्राम कीमती 32,000/- रूपये तथा बैंक पास बुक रखा हुआ था, चोरी के रिपोर्ट पर थाना खरसिया चौकी खरसिया में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 67/2020 धारा 379 ताहि. दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

रिपोर्ट पश्चात चौकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक नंदकिशोर गौतम द्वारा घटना की तस्दीकी के लिये चौकी खरसिया से प्रधान आरक्षक चित्रांगद चंद्रा एवम स्टाफ को घटनास्थल रवाना किये। प्रधान आरक्षक चन्द्रा एवं स्टाफ द्वारा रिपोर्टकर्ता एवं आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना की तस्दीकी किये, घटना सही होने पर इसकी जानकारी अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) खरसिया पिताम्बर पटेल को दिया गया। एस.डी.ओ.पी. पटेल एवं चौकी खरसिया पुलिस के सक्रिय सूचना तंत्र से संदेही विजय यादव के संबंध में जानकारी मिला कि, विजय एक सोने की माला बेचने की फिराक में है, जिसे चौकी स्टाफ द्वारा हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ किये तो उसने अपने पास एक पासबुक और बैग होना स्वीकार किया और बताया कि उसने चोरी किये हुए सोने की माला का 6 पदक अटल आवास खरसिया में रहने वाले संतोष जायसवाल को तथा 01 सोने का पदक चंदन तालाब खरसिया में रहने वाले राजेश यादव के पास बिक्री करना बताया।

आरोपी के निशादेही पर दोनों चोरी की सम्पत्ति के खरीददारों से 07 सोने की पदक कीमती 20,000 रूपये जप्त किया गया तथा प्रकरण में दोनों आरोपियों के विरूद्ध धारा 411 भा.द.वि. जोड़ी जाकर तीनो आरोपियों को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

गिरफ्तार आरोपीगण-

1. विजय यादव पिता कुधरिया यादव उम्र 20 साल निवासी चंदन तालाब के पास चौकी खरसिया थाना खरसिया
2. संतोष जायसवाल पिता श्रीनाथ जायसवाल उम्र 42 सालनिवासी अटल अवास खरसिया
3. राजेश यादव पिता भवानी शंकर उम्र 28 साल निवासी चंदन तालाब के पास चौकी खरसिया थाना खरसिया

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480